

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-1/2013/1149  
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/12/2013

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

विषय – नर्सिंग सिस्टर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों की जानकारी भेजने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय स्तर से नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदोन्नति की जानी है। मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ 12-02/2012 17/मेडि-3 दिनांक 10.2.2012 के द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् के मापदंड के अनुसार नर्सिंग सिस्टर के अतिरिक्त 220 संस्थावार पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः नर्सिंग सिस्टर के दिनांक 10.2.2012 को स्वीकृत किये गये पदों को पूर्व के स्वीकृत पदों में सम्मिलित करते हुए वर्तमान स्थिति कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की स्थिति तत्काल तीन दिवस के अंदर विशेष पत्र वाहक के हस्ते उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही आपके जिले में पदस्थ स्टाफ नर्स जिनके विरुद्ध लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/आर्थिक अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हों उनके नाम भी भेजा जावे।

2. संचालनालय स्तर पर स्टाफनर्स से सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही भी की जानी है। इसकी भी जानकारी वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद तत्काल तीन दिवस के अंदर विशेष पत्र वाहक के हस्ते अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त जानकारी समय-सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में एवं यदि पदोन्नति उपरांत कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इसके लिए आप उत्तरदायी होंगे।

संलग्न – नर्सिंग सिस्टर के 220 पदों की स्वीकृति

  
(डॉ.बी.के.मिश्रा)

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक /12/2013

क0 9/नर्सिंग/सेल-1/2013/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त संचालक सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि जानकारी तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर भेजकर लेख है कि पत्र स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश



14.	सिविल अस्पताल, सारंगपुर	सीएचसी	100	4
15.	सिविल अस्पताल, पिपरिया	सीएचसी	100	4
16.	जिला चिकित्सालय, विदिशा	250	300	2
17.	जिला चिकित्सालय, राजगढ़	145	300	6
18.	जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद	140	300	6
19.	जिला चिकित्सालय, रायसेन	132	200	3
20.	जिला चिकित्सालय, रीवा	50	100	2
21.	जिला चिकित्सालय, बैदण	सीएचसी	100	4
22.	जिला चिकित्सालय, शहडोल	203	300	4
23.	जिला चिकित्सालय, अनूपपुर	—	100	4
24.	जिला चिकित्सालय, उमरिया	—	100	4
25.	जिला चिकित्सालय, सीधी	175	200	1
26.	जिला चिकित्सालय, सतना	220	400	7
27.	जिला चिकित्सालय, इन्दौर	—	100	4
28.	सिविल अस्पताल, संयोगितागंज	—	60	2
29.	जिला चिकित्सालय, खण्डवा	290	400	4
30.	जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर	111	200	4
31.	जिला चिकित्सालय, बड़वानी	262	300	2
32.	सिविल अस्पताल, सेंधवा	सीएचसी	100	4
33.	जिला चिकित्सालय, खरगौन	196	300	4
34.	सिविल अस्पताल बड़वाह	सीएचसी	100	4
35.	जिला चिकित्सालय, धार	209	300	4
36.	जिला चिकित्सालय, झाबुआ	110	200	4
37.	जिला चिकित्सालय, सागर	—	300	0
38.	जिला चिकित्सालय, छतरपुर	148	200	2
39.	जिला चिकित्सालय, दमोह	135	300	6
40.	जिला चिकित्सालय, टीकमगढ़	145	200	2
41.	जिला चिकित्सालय, पन्ना	132	200	2
42.	जिला चिकित्सालय, उज्जैन	571	700	5
43.	जिला चिकित्सालय, रतलाम	470	500	1
44.	जिला चिकित्सालय, मंदसौर	256	500	10
45.	जिला चिकित्सालय, शाजापुर	136	200	2
46.	सिविल अस्पताल आगर	सीएचसी	100	4
47.	जिला चिकित्सालय, देवास	270	400	5
48.	जिला चिकित्सालय, नीमच	100	200	4
49.	जिला चिकित्सालय, ग्वालियर	115	200	4

निरन्तर.....3

50	जिला चिकित्सालय, भिण्ड	256	300	2
51.	जिला चिकित्सालय, श्योपुर	—	100	4
52.	जिला चिकित्सालय, शिवपुरी	188	300	5
53.	जिला चिकित्सालय, गुना	256	400	6
54.	जिला चिकित्सालय, अशोकनगर	—	100	4
55.	जिला चिकित्सालय, दतिया	88	200	5
56.	जिला चिकित्सालय, मुरैना	208	300	4
57.	सिविल अस्पताल, अलीराजपुर	—	100	4
कुल नर्सिंग सिस्टर के पद				220

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 527/आर-949/ब-6/11 दिनांक 24/11/2011 द्वारा की गई सहमति के तारतम्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(राजेश जैन)  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 12-02/2012/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक /02/12

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
3. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
9. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
10. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
11. स्टॉफ फाईल।

की और सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग